त

8.7 विशेष सड़कों पर रिहायशी/वाणिज्यिक/संस्थागत आदि भवनों हेतु प्रावधानः

तालिका ''6'' में वर्णित सड़कों पर निर्माण के मानदण्ड निम्नानुसार होंगेः–

(क) देय एफ.ए.आर. सम्बन्धित तालिकाओं के अनुसार होगा।

(ख) अधिकतम ऊंचाई 20.0 मी. होगी परन्तु एम.आई.रोड पर अजमेरी गेट से गंदा नाला तक (पांच बत्ती के पास) अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर होगी तथा स्टिल्ट देय नहीं होगी।

(ग) अधिकतम आच्छादन 50 प्रतिशत या योजनानुसार जो भी कम हो वह देय होगा परन्तु जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर सम्बन्धित योजना/तालिकाओं के अनुरूप होगा।

(घ) सैट बेक मौका स्थिति अनुसार अथवा विनियम 8.8 के अनुसार होंगे परन्तु जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर योजना/तालिकाओं के अनुसार होगा।

(ङ.) विनियम संख्या 8.7 (ख) के अनुसार देय ऊंचाई अधिकतम होगी चाहे एफ.ए.आर. प्राप्त होता हो अथवा नहीं।

https://frontdesk.co.in/forum/

(च) एम.आई.रोड पर अजमेरी गेट से गंदा नाला तक (पांच बत्ती के पास) के भवनों का बाहरी स्वरूप (ऐलीवेशन्स) इस सड़क पर निर्मित परम्परागत वास्तुविधिक नियंत्रक के अनुरूप ही रखा जाना आवश्यक होगा।

तालिका ''6''

(i) (क) एम.आई.रोड–खासा कोठी चौराहे से सांगानेरी गेट तक (अजमेरी गेट से गंदा नाला तक के हिस्से को छोड़कर)

(ख) एम.आई.रोड–अजमेरी गेट से गंदे नाले तक भवनों की ऊंचाई अधिकतम 12 मी. देय होगी तथा स्टिल्ट देय नहीं होगी।

(ii) आगरा रोड सांगानेरी गेट से अंकुर सिनेमा तक।

(iii) संसार चन्द्र रोड चांदपोल से गवर्नमेन्ट होस्टल तक।

(iv) मोती लाल अटल रोड मिर्जा इस्माईल रोड से पोलोविक्ट्री तक।

(v) स्टेशन रोड चांदपोल से स्टेशन तक।

(vi) मोती डूँगरी रोड सांगानेरी गेट से म्यूजियम रोड तक।

(vii) निर्वाण सड़क चांदपोल से पीतल फैक्ट्री तक।

(viii) जवाहर लाल नेहरू मार्ग–म्यूजियम से रेल ओवर ब्रिज तक।

(ix) अन्य सड़क जो राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त में शामिल की जाये।

(x) सुरक्षा की दृष्टि से महत्व की सडकों की ऊँचाई निम्नानुसार रखी जाएगी–

(ए) सिविल लाइन्स रेल्वे क्रासिंग से हवा सड़क तक	15 मीटर
(बी) अजमेर रोड जंक्शन कामधेनू कॉम्पलेक्स के निकट से हवा सडक होते हुए बाईसगोदाम ऑवर ब्रिज तक की सडक।	15 मीटर
(सी–1) जैकब रोड (पश्चिम की साईड) सिविल लाईन्स रेल्वे क्रोसिंग से अजमेर रोड ऑवर ब्रिज।	15 मीटर
(सी–2) जैकब रोड (पूर्व की साईड) सिविल लाइन्स रेल्वे क्रोसिंग से अजमेर रोड रेल्वे ऑवर ब्रिज तक।	15 मीटर
(xi) भगवान दास रोड – पांच बत्ती क्रोसिंग से विधानसभ	सरोजिनी मार्ग रोड क्रोसिंग से (दक्षिण की तरफ) अम्बेडकर सर्किल तक के हिस्से के भवनों की देय ऊँचाई 15.00

https://frontdesk.co.in/forum/

		मी. तक सीमित होगी एवं शेष हिस्से में पूर्वानुसार 20.00 मी. ऊँचाई अनुज्ञेय होगी
(xii)	अंकुर सिनेमा से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे तक	20.00 मी. तक
(xiii)	जवाहर लाल नेहरू मार्ग रेलवे ऑवर ब्रिज से जवाहर लाल सर्किल तक	20.00 मी. तक
(xiv)	पृथ्वीराज रोडः– टोंक रोड़ जंक्शन से चौमू हाउस क्रोसिंग तक।	15.00 मी. तक
(xv)	घाट की गूणी :– ट्रांसपोर्ट नगर जंक्शन से पूर्व की ओर आगरा रोड के साथ–साथ गलता रोड जंक्शन	12.00 मी. तक
(xvi)	भवानी सिंह रोड :– अम्बेडकर सर्किल से इन्दिरा सर्किल (जेएलएन मार्ग के जंक्शन तक)	20.00 मी. तक
(xvii)	पुरानी आमेर रोड :– पार्ट ए जोरावर सिंह गेट से रामगढ रोड जंक्शन	20.00 मी. तक
(xviii)	पार्ट बी रामगढ रोड जंक्शन से आमेर का घाटी दरवाजा	20.00 मी. तक
(xix)	पुराना आमेर शहर (आमेर घाटी क्षेत्र का दिल्ली रोड के पश्चिम एवं उत्तर की ओर का क्षेत्र) पुरानी दिल्ली रोड के दोनों ओर आमेर दरवाजे से आमेर स्टेडियम	12.00 मी. तक
(xx)	विधानसभा के चारों ओर की सडकें	15.00 मी. तक
(xxi)	टोंक रोड पर रामबाग सर्किल से यूनीवर्सिटी मार्ग जंक्शन तक	*20.00 मी. तक*
(xxii)	तिलक मार्गः– भवानी सिंह रोड जंक्शन से पृथ्वीराज मार्ग जंक्शन	15.00 मी. तक
(xxiii)	स्टेच्यू सर्किल के चारों ओर	15.00 मी. तक

टिप्पणी :– क्रम संख्या (xiii) व (xiv) में अंकित सडकों पर भवन की ऊंचाई 30 मीटर तक इस शर्त पर अनुज्ञेय की जा सकेगी :– (क) यदि आवेदक द्वारा टी.डी.आर का उपयोग करना प्रस्तावित हो *(75 प्रतिशत टीडीआर में समायोजित होगा व शेष 25 प्रतिशत नगद लिया जायेगा)* अथवा अतिरिक्त ऊंचाई के निर्मित क्षेत्रफल पर आवासीय उपयोग प्रस्तावित होने पर 100 रूपयें प्रति वर्ग फीट तथा व्यावसायिक उपयोग प्रस्तावित होने पर 200 रूपयें प्रति वर्ग फीट अथवा आरक्षित दर का 25 प्रतिशत जो भी अधिक हो बेटरमेन्ट लेवी के रूप में जमा करायें।

(ख) भवन की प्रस्तावित उचाई अनुज्ञेय उचाई से अधिक ना हो।

https://frontdesk.co.in/forum/